न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

रैयती अपील वाद संख्या–30/2017–18

विजय कुमार सिंह बनाम राज्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
25/9/18	**आदेश** यह अपील बकास्त/गैरमजरूआ मालिक भूमि रैयती अभिलेख सं0 11के0/2017–18 में दिनांक 23.01.2018 को भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल की गयी है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि बिहटा अंचल अंतर्गत मौजा कुतुलपुर थाना नं0 56, खाता नं0 443 खेसरा नं0 2037 रकवा 11डी0 उनकी खतियानी सम्पति है। खेवट सं0 27 में बकब्जे शंकर महतो वो महादेव महतो अंकित है। महादेव महतो आवेदक के पूर्वज है। स्वत्व वाद सं0 106/1968 के अन्तर्गत बंटवारा में अन्य भूखण्ड के साथ प्रश्नगत भूखण्ड अपीलार्थी के पिता को हिस्सा में मिली थी। पिता की मृत्यु के पश्चात अपीलार्थी के द्वारा अपने नाम से दाखिल खारिज करा कर जमाबंदी सं0 570 कायम करायी गयी। भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा इस आधार पर अपीलार्थी का दावा अस्वीकृत कर दिया गया कि अपीलार्थी के द्वारा किसी सक्षम पदाधिकारी से निर्गत वंशावली दाखिल नहीं की गयी थी। अपीलार्थी के द्वारा रैयती भूमि वाद सं0 11के0/2017–18 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक 23.01.2018 को पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया। राज्य सरकार की तरफ से सहायक सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत मामला खाता सं0 443 से संबंधित है, जबकि स्वत्व वाद सं0 106/1968 के अन्तर्गत खाता सं0 554 का बंटवारा हुआ है। अपीलार्थी स्वत्व वाद सं0 106/1968 के आधार पर प्रश्नगत भूखण्ड पर दावा कर रहे है तथा उनके द्वारा खाता सं0 554 की ही वर्ष 2012–13 की लगान रसीद की छाया–प्रति दाखिल की गयी है। इस आधार पर प्रश्नगत खाता सं0 443 पर अपीलार्थी का दावा निराधार है तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता,	

दानापुर का आदेश पूर्णतः वैध है। अपील अस्वीकृत करने योग्य है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उपलब्ध कागजात एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से निम्न तथ्य सामने आते हैं।

(1) आवेदक के द्वारा खाता सं0 443 खेसरा सं0 2037 रकवा $5\frac{1}{2}$डी0 पर दावा किया जा रहा है, परन्तु उनके द्वारा खाता सं0 554 खेसरा सं0 2037 रकवा 3डी0 की वर्ष 2012–13 की लगान रसीद की छाया प्रति दाखिल की गयी है। इस परिस्थिति में प्रश्नगत भूखण्ड पर अपीलार्थी के दावे की पुष्टि नहीं होती है।

(2) अपीलार्थी के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड स्वत्व वाद सं0 106/1968 से प्राप्त होना बतायी जा रही है। निम्न न्यायालय में स्वत्व वाद सं0 106/1968 में दाखिल Compermise Petition की छाया–प्रति दाखिल की गयी है, जिसमें प्रश्नगत खाता सं0 443 सन्निहित नहीं है।

(3) अपीलार्थी के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह प्रमाणित हो कि प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी अपीलार्थी के पूर्वज के नाम से कायम थी।

उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों में मेरा मत है कि बकास्त रैयती अभिलेख सं0 11के0/2017–18 को भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक 23.01.2018 को पारित आदेश पूर्णतः विधि सम्मत है। उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील अस्वीकृत की जाती है।

आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर को दें। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित।

25/9/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना

25/9/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना